न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 27 / 2016

नरसी पुत्र रामरख जाति बिश्नोई निवासी भोपालपुरा तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर ।

——अपीलांट

बनाम

1. राजाराम पुत्र रामचन्द्र जाति बिश्नोई निवासी भोपालपुरा तहसील सूतरगढ जिला श्रीगंगानगर ।
2. रामजीलाल पुत्र रामचन्द्र जाति बिश्नोई निवासी भोपालपुरा तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सूरतगढ।

——रेस्पोडेन्टान

अपील अन्तर्गत धारा 75 रा.भू.अ. 1956

विरूद्ध आदेश उपखंड अधिकारी सूरतगढ

दिनांक 18.01.2016

उपस्थितिः—

श्री सुभाष चन्द्र बिश्नोई , अभिभाषक अपीलांट

श्री कालूराम खीचड़ अभिभाषक रेस्पो. सं.1

श्री विक्रम बिश्नोई अभिभाषक रेस्पो.सं. 2

श्री श्याम सुन्दर चाण्डक राजकीय अधिवक्ता

निर्णय **दिनांक :— 30.10.2017**

अपीलार्थी द्वारा यह अपील आवंटन अधिकारी एवं उपखंड अधिकारी सूरतगढ के आदेश दिनांक 18.01.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की की गई हैं उक्त आदेश के द्वारा रेस्पो.सं.2 को राज. उपनिवेशन (इ.गा.न.प.क्षेत्र में

30/10/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 14 के तहत चक 2 डी ओ (ए) के प.न. 23/15, के कि.न. 5, 6, 7, 14, 15, 17 23 से 25 की कुल 1.202 है. भूमि बतौर स्मालपैच में आवंटित की गई है।।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित भूमि अपीलांट के भूमि के चिपती हुई है। अपीलांट ने विवादित भूमि के आवंटन हेतु प्रा.पत्र पेश कर रखा है जिस पर पटवारी हल्का की रिपोर्ट होकर बाद रिपोर्ट तहसीलदार प्रकरण अधी.न्यायालय में दर्ज किया गया । रेस्पो. सं.2 ने दिनांक 18.01.2018 को प्रा.पत्र पेश किया जिस पर अधी.न्यायालय ने अपीलांट के प्रार्थना पत्र को नजर अन्दाज करते हुए रेस्पो. सं. 2 को आवंटन कर दिया। रेस्पो. सं. 2 को चिपता हुआ कोई रकबा नहीं है । रेस्पो. सं.2 ने मिली भगत कर विवादित भूमि का आवंटन करवा लिया । अपीलांट ने विवादित भूमि का आवंटन निलामी से करने का निवेदन अधी.न्यायालय में किया था लेकिन उस पर कोई गौर नहीं किया गया । इस प्रकार रेस्पो. 2 को जो आवंटन किया गया है वह नियम विरूद्ध होने से निरस्त किया जावें। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावें ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पो. ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पो.सं. 2 ने अधी.न्यायालय में आवंटन हेतु प्रा.पत्र पेश किया एवं अधी.न्यायालय ने रेस्पो.सं.2 को आवंटन का पात्र मानते हुए नियमानुसार आवंटन किया गया है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावें ।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

30/10/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

अपील अधी.न्यायालय उपखंड अधिकारी सूरतगढ के प्रकरण संख्या 180/2015 आवंटन आदेश दिनांक 18.01.2016 के विरूद्ध पेश की गई है जिसमें रेस्पो.सं. 2 रामजीलाल पुत्र रामचन्द्र बिश्नोई को तहसील सूरतगढ के चक 2 डी ओ ए के प.न. 23/15 कि.न. 5/1 की 0.164, 6/2 की 0.228, 7/1 की 0.013, 14/2 की 0.101, 15 की 0.253, 17/1 की 0.202, 23/2 की 0.013, 24/1 की 0.228, 25/2 की 0.228 कुल 1.683 है0 कृषि भूमि बतौर स्मालपेच आवंटन की गई है, में रेस्पो. सं. 2 का न तो चिपता हुआ काश्तकार है ना ही उसके नाम कोई रकबा है। अतः किया गया आवंटन नियम विरूद्ध होकर निरस्त योग्य बताकर अपील में अनुतोष चाहा है।

अधी.न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया, अधी. न्यायालय की पत्रावली के पृष्ठ संख्या 10 पर पटवारी हल्का गोपालपुरा द्वारा चक 2 डी ओ ए का जो नजरी नक्शा बनाया है जिसमें pink dotted रकबा आराजी राज है Yellow रेस्पो. सं. 2 का दर्शाया है एवं brown अपीलांट का दर्शाया है जो एक कोने से रेस्पो. सं. 2 से Adjoining है तथा एक कोने से अपीलांट की कृषि भूमि से Adjoining है जिसका अधी. न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड के अनुसार तहसील सूरतगढ के "चक 2 डी. ओ.ए. के प.न. 23/15 कि.न. 5/1 की 0.164, 6/2 की 0.228, 7/1 की 0.013, 14/2 की 0.101, 15 की 0.253, 17/1 की 0.202, 23/2 की 0.013, 24/1 की 0.228, 25/2 की 0.228 कुल 1.683 है0 रकबा राज है।" "चक 2 डी.ओ.ए. के प.नं. 23/15 के कि.नं. 5/1 की 0.104, 6/2 की 0.228, 7/1 की 0.013, 14/2 की 0.101, 15–16 की 0.506, 17 की 0.202, 23/2 की 0.013, 24/1 की 0.228, 25/2 की 0.228 = 1.683है0 कमाण्ड 0.481 , अ0क0 1.202, रकबा 1.683है0" अपीलांट की कृषि भूमि

30/10/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

तथा रेस्पों. सं. 2 की चक 2 डी.ओ.ए. के प.नं. 23/15 के कि.नं. 16 व 25 में 0.481है0 खातेदारी है। खातेदारी विवेचित होकर आवंटन हुआ है जिसमें Adjoining काश्तकारों में अपीलांट, रेस्पों. व एक अन्य खातेदार राजाराम को नोटिस जारी होने के साथ–साथ सार्वजनिक सूचना का नोटिस जारी होना प्रमाणित है एवं अधी. न्यायालय के निर्णय अनुसार अपीलांट नरसी व अन्य खातेदार राजाराम एक ही मुरब्बे (Same murbba) के खातेदार नहीं होने तथा रेस्पों. सं. 2 की खातेदारी भूमि एवं विवादित भूमि एक ही मुरब्बा (Same मुरब्बा) मानी जाकर रेस्पों. को तरजीह देकर आवंटन किया है। अपील मीमों में इसका specific denial नहीं है साथ ही अधी. न्यायालय की पत्रावली के पृष्ठ सं. 32 के अनुसार विवादित आराजी पर कब्जा रेस्पों. का होना जाहिर किया है। इस सम्बन्ध में सन्दर्भ विधि "The Rajasthan colonisation(Allotment and sale of Government land in Indira Gandhi Canal Colony area rules 1975 के नियम 14 का अध्ययन किया जिसकी Bare readingh है कि " 14 Allotment of small patch -- (1) Notwithstanding anything to the contrary contained in these rules, small patch of Goverment land may be allotted, to a tenant whose tenure land adjoins such patch, subject to the celling area at [half of the index price or [the] reserve price whichever is higher]

[provided that if the tenant of the adjoining land fails to apply for the allotment of small patch, the Allotting Authority shall make arrangement for making allotment of such small patch to the tenure tenant of the same chak or of the adjoining chak]

[(2) In case more than one tenants apply for the allotment of the same small patch, allotment shall be made to the tenant of same murabba]" उपरोक्त विधि के परिप्रेक्ष्य में नियम 14(2) के प्रावधान प्रकरण हाजा पर लागू योग्य होकर इसी अनुरूप रेस्पों. सं. 2 को आवंटन किया गया है जो

30/10/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

अपील मीमों की आपत्तियां मानने योग्य नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधी. न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 30.10.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

30/10/17

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर